

भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों हेतु कल्याण योजनाएं

2709. श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा निःशक्तजनों और मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों के कल्याण के लिए कोई योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा निःशक्तजनों के विकास हेतु राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा निःशक्तजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्यमंत्री

(श्री कृष्णपाल गुर्जर)

(क) से (घ): विभाग ने दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं और अपने राष्ट्रीय संस्थानों, राष्ट्रीय न्यास, राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम (एनएचएफडीसी) और भारत कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) के माध्यम से और साथ ही राज्य सरकारों/स्वायत्त निकायों/संगठनों/संस्थानों और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) के माध्यम से मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों सहित दिव्यांगजनों के कल्याण और पुनर्वास हेतु देश भर में कई योजनाएं/परियोजनाएं चला रहा है। सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कार्यान्वित मुख्य योजनाओं के ब्यौरे अनुबंध-I पर हैं।

विभाग की योजनाएं केंद्रीय क्षेत्रक योजनाएं हैं जो विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों (सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती हैं। अतः राज्यों को निधि आवंटित नहीं की गई है। तथापि, विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान मुख्य योजनाओं अर्थात् एडिप, सिपडा, डीडीआरएस, छात्रवृत्ति योजनाओं, राष्ट्रीय कार्य योजना और राष्ट्रीय न्यास के तहत विभाग द्वारा जारी की गई राज्य-वार निधियां अनुबंध-II से अनुबंध-VII पर दी गई हैं।

अनुबंध-1

दिनांक 09.07.2017 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2709 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

(i) सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप): इस योजना के तहत, जरूरतमंद दिव्यांगजनों की सहायता के लिए विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को ऐसे टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से निर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्रों और उपकरणों के अधिप्रापण के लिए निधियां जारी की जाती हैं जो दिव्यांगताओं के प्रभाव को कम करके उनके शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा दे सकें तथा उनकी आर्थिक क्षमता में अभिवृद्धि कर सकें।

(ii) दिव्यांगजन अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन हेतु योजना (सिपडा): इस योजना के तहत, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से दिव्यांगजनों के लिए बाधामुक्त वातावरण के सृजन के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

(iii) दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस): इस योजना के तहत, दिव्यांगजनों के पुनर्वास से संबंधित परियोजनाओं के लिए गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य उन्हें इष्टतम शारीरिक, संवेदी, बौद्धिक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रकार्य तक पहुँचाने और उसे बनाए रखने में सक्षम बनाना है।

(iv) दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं: इस योजना के तहत, प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक, उच्च श्रेणी (टॉप क्लास) शिक्षा, नेशनल फैलोशिप, नेशनल ओवरसीज छात्रवृत्ति के लिए दिव्यांग छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

(v) राष्ट्रीय कार्य योजना या दिव्यांगजनों का कौशल विकास : इस योजना के तहत प्रशिक्षण भागीदारों (सरकारी संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों) को दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए अनुदान जारी किया जाता है।

(vi) सुगम्य भारत अभियान: दिव्यांगजनों के लिए सर्वसुलभ सुगम्यता, अंतर्निहित वातावरण, परिवहन और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी), पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना करने के लिए यह अभियान 3 दिसंबर 2015 को शुरू किया गया था।

(vii) राष्ट्रीय न्यास : यह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक स्वायत्त संगठन है जो स्वलीनता (ऑटिज्म), प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के कल्याण के लिए निम्नलिखित 11 योजनाओं को कार्यान्वित करता है:

- (क) दिशा : 0 से 10 वर्षों के लिए प्रारंभिक उपाय और स्कूल तैयारी योजना ,
- (ख) विकास : 10 + योजना के लिए दिवसीय देखभाल (डे केयर),
- (ग) दिशा सह विकास योजना : दिवसीय देखभाल (डे केयर),
- (घ) समर्थ : विश्राम (रेस्पाइट) देखभाल आवासीय योजना ,
- (ङ) घरौंदा : प्रौढ़ व्यक्तियों के लिए समूह गृह,
- (च) समर्थ-सह-घरौंदा योजना : आवासीय देखभाल ,
- (छ) सहयोगी: केयर गिवर एसोसिएट प्रशिक्षण योजना ,
- (ज) प्रेरणा: विपणन (मार्केटिंग) सहायता,
- (झ) सम्भव: सहायक यंत्र और सहायता प्रदत्त उपकरण,
- (ञ) बढ़ते कदम: जागरूकता, सामुदायिक इंटरएक्शन और नवाचारी परियोजना और
- (ट) निरमया: स्वास्थ्य बीमा योजना ।

अनुबंध-II

"भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों हेतु कल्याण योजनाएं" के संबंध में दिनांक 09.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2709 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान एडिप योजना के तहत जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(रु. लाख में)

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (30.06.2019 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	642.12	420.16	1072.55	-
2	बिहार	205.62	496.31	840.06	0.59
3	छत्तीसगढ़	297.76	49.25	1 8.32	0.12
4	गोवा	3.76	53.55	59.13	-
5	गुजरात	1731.26	2399.37	1111.54	19.61
6	हरियाणा	848.49	453.31	928.39	0.94
7	हिमाचल प्रदेश	81.01	52.71	119.41	-
8	जम्मू और कश्मीर	222.59	117.81	255.19	-
9	झारखंड	77.04	106.97	286.84	0.23
10	कर्नाटक	453.60	353.50	646.00	-
11	केरल	228.68	354.51	341.51	-
12	मध्य प्रदेश	1663.46	979.93	1152.49	48.4
13	महाराष्ट्र	1244.36	1043.78	2330.26	1.41
14	ओडिशा	897.64	702.20	332.36	0.12
15	पंजाब	565.25	276.62	814.07	0.82
16	राजस्थान	539.81	856.93	1669.67	151.64
17	तमिलनाडु	353.32	514.95	698.34	2.74
18	उत्तर प्रदेश	4072.05	1908.81	4247.23	98.82
19	उत्तराखंड	311.20	281.93	152.40	1.50
20	पश्चिम बंगाल	1149.95	734.64	1301.94	0.12
21	अंडमान और निकोबार	10.64	7.13	34.68	-
22	चंडीगढ़	22.61	0.75	0.14	-
23	दादर और नगर हवेली	2.13	2.70	-	-
24	दमन और दीव	3.08	6.76	3.50	-
25	दिल्ली	571.89	355.64	488.58	4.52
26	लक्षद्वीप	0	11.22	4.85	-
27	पुडुचेरी	20.11	7.12	41.26	-
28	अरुणाचल प्रदेश	8.45	28.48	40.68	-
29	असम	542.96	829.97	86.66	22.57
30	मणिपुर	563.14	162.47	59.80	4.30
31	मेघालय	98.28	8.19	146.58	3.27
32	मिजोरम	38.55	11.00	40.50	-
33	नागालैंड	16.49	2.37	54.21	-
34	सिक्किम	0	0.53	17.40	-
35	त्रिपुरा	235.34	98.82	220.18	-
36	तेलंगाना	335.56	443.79	653.92	-
	कुल	18058.20	14134.18	20270.64	361.72

"भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों हेतु कल्याण योजनाएं" के संबंध में दिनांक 09.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अवतारकित प्रश्न संख्या 2709 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।
पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के कार्यान्वयन की योजना (सिपडा) के तहत जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019 -20 (30.06.2019 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	-	795.54	718.17	0
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	0
3	असम	-	-	-	0
4	बिहार	-	925.14	-	0
5	छत्तीसगढ़	-	688.59	-	0
6	गोवा	-	-	444.63	0
7	गुजरात	-	114.37	-	0
8	हरियाणा	50.09	464.68	880.02	0
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	48.49	0
10	जम्मू और कश्मीर	57.74	-	1073.98	0
11	झारखंड	-	583.43	583.43	0
12	कर्नाटक	-	-	1104.11	0
13	केरल	-	-	429.98	0
14	मध्य प्रदेश	19.37	951.16	602.73	0
15	महाराष्ट्र	1863.34	-	-	0
16	मणिपुर	-	-	-	0
17	मेघालय	107.38	1689.67	325.16	0
18	मिजोरम	877.16	-	-	0
19	नागालैंड	861.27	78.48	-	0
20	ओडिशा	607.14	118.11	1028.49	0
21	पंजाब	5.60	64.59	919.74	0
22	राजस्थान	-	3813.00	6.03	0
23	सिक्किम	578.14	-	-	0
24	तमिलनाडु	796.38	307.50	-	0
25	तेलंगाना	-	459.62	459.62	0
26	त्रिपुरा	-	-	-	0
27	उत्तराखंड	50.06	-	115.56	0
28	उत्तर प्रदेश	419.58	3142.15	868.71	0
29	पश्चिम बंगाल	157.92	289.52	1105.22	0
30	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	-	-	570.59	0
31	चंडीगढ़	415.38	-	-	0
32	दादर और नगर हवेली	-	-	-	0
33	दमन और दीव	-	-	-	0
34	दिल्ली	1348.43	45.35	-	0
35	लक्षद्वीप	-	-	-	0
36	पुडुचेरी	-	273.16	-	0
	कुल	8214.98	14804.06	11284.66	00.00

"भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों हेतु कल्याण योजनाएं" के संबंध में दिनांक 09.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2709 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (30.06.2019 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	763.14	1101.15	652.23	0
2	अरुणाचल प्रदेश	9.64	1.58	0	0
3	असम	94.01	88.98	24.3	0
4	बिहार	25.16	80.58	35.88	0
5	छत्तीसगढ़	17.51	24.30	38.8	0
6	दिल्ली	82.16	196.37	27.69	0
7	गोवा	4.89	0.00	0	0
8	गुजरात	32.2	58.85	45.91	0
9	हरियाणा	116.24	119.50	75.85	0
10	हिमाचल प्रदेश	24.16	24.84	46.79	0
11	जम्मू और कश्मीर	3.25	0.68	4.86	0
12	झारखंड	0.94	0.00	0	0
13	कर्नाटक	96.73	83.86	50.53	0
14	केरल	446.16	574.32	370.5	0
15	मध्य प्रदेश	99.75	148.04	92.76	0
16	महाराष्ट्र	221.47	321.64	73.08	0
17	मणिपुर	270.91	448.30	371.09	0
18	मेघालय	65.16	23.21	35.08	0
19	मिजोरम	7.38	9.44	9.54	0
20	नागालैंड	0	0.00	0	0
21	ओडिशा	329.31	526.93	254.07	0
22	पंजाब	68.95	86.58	20.95	0
23	राजस्थान	136.12	188.63	107.77	0
24	सिक्किम	0	0.00	0	0
25	तमिलनाडु	98.77	216.42	202.83	0
26	त्रिपुरा	12.09	2.84	0.27	0
27	उत्तर प्रदेश	376.19	557.57	355.19	0
28	उत्तराखंड	28.01	26.52	18.06	0
29	पश्चिम बंगाल	361.66	384.90	183.31	0
30	तेलंगाना	700.88	685.37	588.36	0
31	अंडमान और निकोबार	0	0.00	0	0
32	चंडीगढ़	0	0.00	0	0
33	दादर और नगर हवेली	0	0.00	0	0
34	दमन और दीव	0	0.00	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0.00	0	0
36	पुदुचेरी	7.16	18.36	18.31	0
	कुल	4500.00	5999.77	3704.01	00.00

अनुबंध- V

"भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों हेतु कल्याण योजनाएं" के संबंध में दिनांक 09.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2709 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।
पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिव्यांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे (रु. में)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (30.06.2019 की स्थिति के अनुसार)
1	अंडमान और निकोबार	0	23,105	0	0
2	आंध्र प्रदेश	45452446	38634545	39133076	0
3	अरुणाचल प्रदेश	0	454,832	217,950	0
4	असम	2084395	5175195	8102384	0
5	बिहार	9425619	17190687	38427006	0
6	चंडीगढ़	168,773	25000	4504551	0
7	छत्तीसगढ़	1425065	1686408	7104311	0
8	दादर और नगर हवेली	5340	31,930	0	0
9	दमन और दीव	0	0	0	0
10	दिल्ली	7514322	8456984	22369629	498,850
11	गोवा	0	0	0	0
12	गुजरात	5504023	4720663	11228354	0
13	हरियाणा	6141470	7039148	9155719	0
14	हिमाचल प्रदेश	1139274	1956937	3586350	0
15	जम्मू और कश्मीर	2317050	4484667	13005224	0
16	झारखंड	2480063	5586493	17058117	0
17	कर्नाटक	12205947	44204354	48112971	0
18	केरल	12923434	13467189	37590481	0
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	7950546	62570217	75931300	0
21	महाराष्ट्र	13583357	19140032	29845056	0
22	मणिपुर	1543538	43,196	0	0
23	मेघालय	35470	748,470	175,020	0
24	मिजोरम	0	382,490	40,610	0
25	नागालैंड	0	214,868	0	0
26	ओडिशा	19280156	11646315	48828020	0
27	पुडुचेरी	2580224	1392400	2030265	0
28	पंजाब	4227885	3448420	9296739	0
29	राजस्थान	5142812	7036343	27468691	0
30	सिक्किम	106,440	385,900	37,325	0
31	तमिलनाडु	19450935	6432387	35931931	0
32	तेलंगाना	4301902	11304393	16409824	0
33	त्रिपुरा	1171418	2844017	2301554	0
34	उत्तराखंड	493,075	30,640	1730962	0
35	उत्तर प्रदेश	47473456	56311850	255943105	2173520
36	पश्चिम बंगाल	14064414	21269598	97107025	0
	कुल	35,83,39,673	56,47,24,293	86,26,73,550	26,72,370

अनुबंध- VI

"भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों हेतु कल्याण योजनाएं" के संबंध में दिनांक 09.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 2709 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों के दौरान सिपडा के तहत राष्ट्रीय कार्य योजना के अधीन विशिष्ट राज्यों में स्थित प्रशिक्षण भागीदारों को जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(रू. में)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (30.06.2019 की स्थिति के अनुसार) (30.06.2019 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	1760591	1935086	1889372	0
2	अरुणाचल प्रदेश	303,306	474,596	0	0
3	असम	0	0	713,174	0
4	चंडीगढ़	196,875	346,040	0	0
5	छत्तीसगढ़	0	36077801	0	0
6	गोवा	0	0	0	0
7	गुजरात	1311948	1505807	7357484	0
8	हरियाणा	996,237	5344060	603,678	0
9	हिमाचल प्रदेश	412,380	0	0	0
10	जम्मू और कश्मीर	2449871	4308498	0	0
11	झारखंड	0	0	0	0
12	कर्नाटक	1431375	0	2999945	0
13	केरल	0	199,478	0	0
14	मध्य प्रदेश	10079658	11782333	12195968	0
15	महाराष्ट्र	1480776	7682008	23368006	0
16	मणिपुर	2753323	4303421	0	0
17	नई दिल्ली	22257963	381246731	317078476	0
18	ओडिशा	3800485	3834799	0	0
19	पंजाब	202,800	11113464	0	0
20	राजस्थान	2128698	11139360	0	0
21	सिक्किम	1249200	0	5047015	0
22	तमिलनाडु	0	40691071	1783158	0
23	तेलंगाना	0	2401464	17387308	0
24	उत्तर प्रदेश	1429468	35881417	5929663	0
25	पश्चिम बंगाल	4300494	101136650	13449751	0
26	मूल्यांकन पर खर्च	0	7083000	25477000	0
27	प्रशासनिक व्यय	0	736,886	2189659	0
28	वेब पोर्टल का एनआईसीएसआई की स्थापना	0	2754791	0	0
	कुल	58545448	671978761	437469657	00

अनुबंध- VII

"भिन्न रूप से सशक्त व्यक्तियों हेतु कल्याण योजनाएं" के संबंध में दिनांक 09.07.2019 को उत्तर के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2709 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय न्यास की योजना के तहत जारी की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (30.06.2019 की स्थिति के अनुसार)
1	आंध्र प्रदेश	127.88	151.11	116.51	12.61
2	असम	0.00	7.13	17.50	1.02
3	बिहार	49.01	84.73	43.08	9.10
4	चंडीगढ़	1.55	-0.55	1.50	0.00
5	छत्तीसगढ़	11.83	27.50	8.52	0.00
6	दिल्ली	52.11	33.42	31.44	4.75
7	गुजरात	83.05	38.39	34.31	2.39
8	हरियाणा	59.76	81.85	25.82	3.19
9	हिमाचल प्रदेश	12.05	10.76	12.79	3.78
10	झारखंड	4.85	0.00	0.00	0.00
11	कर्नाटक	25.54	25.91	26.58	3.69
12	केरल	1.55	0.75	1.60	6.39
13	मध्य प्रदेश	383.20	401.05	291.38	40.99
14	महाराष्ट्र	6.41	10.58	10.29	4.31
15	मणिपुर	7.35	3.62	7.78	0.53
16	मिजोरम	6.40	0.96	2.26	0.00
17	ओडिशा	195.71	182.08	93.19	19.95
18	पंजाब	11.37	13.21	15.00	5.43
19	पुडुचेरी	0.00	2.90	0.00	0.00
20	राजस्थान	37.10	25.68	9.95	8.50
21	तमिलनाडु	29.40	69.50	58.16	7.17
22	तेलंगाना	50.36	52.76	35.82	5.21
23	उत्तर प्रदेश	363.97	315.99	217.47	33.66
24	उत्तराखंड	1.95	3.52	4.92	0.00
25	पश्चिम बंगाल	77.96	95.93	64.45	44.30
	कुल	1600.36	1638.79	1130.29	216.97
